

W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण सं० निगरानी/एल.आर/460/2014/उदयपुर

- 1- राधेश्याम सोनी पुत्र श्री चांदमल जाति सोनी, निवासी 31 पावा विहार, न्यू अहिंसापुरी, उदयपुर।
- 2- मुरलीधर सोनी पुत्र श्री चांदमल जाति सोनी, निवासी 29 पावा विहार, न्यू अहिंसापुरी, उदयपुर।
- 3- कैलाश पुत्र श्री चांदमल जाति सोनी, निवासी 30 पावा विहार, न्यू अहिंसापुरी, उदयपुर।

- अपीलार्थीगण.

बनाम

- 1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर।
- 2- सचिव एवं प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रत्यास, उदयपुर।
- 3- पुथियर सुकुमारन नायर पुत्र श्री नारीकरेते गोविन्दन नायर, निवासी 12 जयश्री कॉलोनी, बोहरा गणेशजी के पास पहाडा, उदयपुर।
- 4- सत्यनारायण पुत्र श्री नन्दलाल चौधरी, निवासी 58, उत्तरी आयड, उदयपुर।

- प्रत्यर्थीगण.

एकलपीठ

श्री प्रियव्रत पंड्या, सदस्य

उपस्थित:

- श्री सम्पतलाल बोहरा, अभिभाषक अपीलार्थीगण.  
श्री एस.के. शर्मा, उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी सं० 1.  
अपीलार्थी सं० 2 का नाम विलोपित।  
श्री पुष्कर लाल शर्मा, अभिभाषक प्रत्यर्थी सं० 3 व 4,

-: निर्णय :-

दिनांक: 06-01-2015

यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 84 के अन्तर्गत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के मुकदमा सं० 80//2007 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम पुथियर सुकुमारन में पारित निर्णय दिनांक 19-12-2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।



COMPARED BY



